

राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।


क्रमांक:ई-11/ नर्सिंग/नर्स-2/एम-1011/19/

दिनांक:-

आदेश

श्री मुकेश मेघवाल, नर्स-2 (परिवीक्षाधीन), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर का स्वयं की बीमारी के कारण दिनांक 16.03.16 से 31.03.16 तक 16 दिवस व 07.12.17 से 21.12.17 तक 15 दिवस (कुल-31 दिवस) का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक परिवीक्षा काल में एक दिवस अभिवृद्धि की जावेगी।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:ई-11/ नर्सिंग/नर्स-2/ एम-1011/19/529
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

दिनांक:- 4-06-19

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर।
2. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।


(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।